

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ वदियुत शुल्क (संशोधन) वधियक, 2022 पर कयि हस्ताक्षर चर्चा में क्यो?

30 सतिंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ वदियुत शुल्क (संशोधन) वधियक, 2022 पर हस्ताक्षर कयि। इस संशोधन में वभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लयि वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरों में प्रतशित में वृद्धि की गई है।

प्रमुख बदि

- वधियक के भाग क (धारा 3(1) (अ)) में उल्लेखति सरल कर. 1 व 2 में क्रमशः घरेलू उपभोक्ताओं के लयि वर्तमान ऊर्जा प्रभारों के प्रतशित में प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतशित में 3 प्रतशित वृद्धि उपरांत 11 प्रतशित तथा गैर-घरेलू उपभोक्ता के लयि वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतशित में 5 प्रतशित वृद्धि उपरांत 17 प्रतशित शुल्क नरिधारति कयि गया है।
- इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ)) में सरल कर.3 से 13 के वभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयों, लघु व मध्यम उद्योगों आदि के लयि शुल्क वृद्धि की गई है। सरल कर.14 व 15 के लयि अनुसूची की उच्चतम दर नरिधारति की गई है।
- इसी प्रकार भाग ख की धारा 3 (1) (ब) में सरल कर. 16 के उपभोक्ता, अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहुँच के माध्यम से अभिप्राप्त वदियुत उपभोग के लयि शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं कयि गया है।
- वधियक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स)) के सरल कर. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 में उल्लेखति उत्पादन कंपनियों, राज्य की नजि व सार्वजनिक कंपनियों आदि इकाईयों के लयि ऊर्जा प्रभारों के प्रतशित में शुल्क की दरें बढ़ाई गई हैं तथा सरल कर. 18 में उल्लेखति उत्पादन इकाईयों के लयि शुल्क यथावत रखा गया है।